XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.2466—तीन/02 जिला—भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7—7—15	आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी, अभि. उप. । आवेदक अभि. को वारिसान की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये कई बार अवसर दिया गया लेकिन उनके द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई । अतः न्यायालय के आदेश का पालन न करने के कारण यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

FIVE RUPEES TEN RUPEES

R 2466-III/2002

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००२ निगरानी

१। राधाकृष्ण २। हरीकृष्ण पुत्रगण श्री किशनचरण मिश्र, निवासी अटेर, जिला भिण्ड, म०प्र० -- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। पोथीराम २। छदामीलाल पुत्रगण श्री आदिराम निवासी सांदकापुरा मजरा रैपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपरआयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक २२-३-२००२ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक २५४/९४-९५ निगरानी।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है।

(२) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर समुचित विचार नहीं किया।

(४) यह कि कलेक्टर महोदय के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक २३-३-९३ जो पक्षकारों के मध्य अंतिम था का पालन किये बिना दिया गया आदेश एवम् की गई कार्यवाही वैधानिक न होने से पारित आदेश निरस्ती योग्य है।